छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांकः एफ 1– /2016/विज्ञप्त/ **रायपुर, दिनांक / /2016**

प्रकाशन की तारीख	**आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के / /2016 के मध्य किसी भी दिवस में ।**

छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1–60/2013/सत्रह/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2013 के व्दारा छत्तीसगढ़ शासन के (असाधारण) राजपत्र व्दारा अधिसूचित ''छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में प्रावधान अनुसार भारतीय नागरिक और भारत सरकार द्वारा मान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में **''चिकित्सा अधिकारी''** के रिक्त पदों एवं निःशक्तजनों के बैंकलॉग रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए ऑन–लाईन आवेदन विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से आमंत्रित किए जाते है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के तदर्थ रुप में पदस्थ चिकित्सक भी रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते है। पूर्व में विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर रिक्त पदों का वर्गवार विवरण नीचे तालिका में दर्शित हैं :–

पद का नाम	कुल रिक्तियों की संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःशक्तजन (OA, OL) के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल योग
	अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. वर्ग	अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. वर्ग	अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
चिकित्सा अधिकारी	**84**	**24**	**64**	**28**	25	07	19	08	04	02	04	02	**200**
चिकित्सा अधिकारी (निःशक्तजनों बैंकलॉग)	**निःशक्तजनों के बैंकलॉग रिक्त पदों का विवरण**								10	01	17	10	**38 (OA, OL)***

***Abbrevation Used: - OA-One Arm, OL-One Leg (for non surgical jobs)**

1. चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा–निर्देश विभाग के वेबसाईट www.cghealth.nic.in में देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

2. **आवेदन भरने की तिथि :–** ऑन–लाईन आवेदन दिनांक **15-03-2016** से भरे जा सकेंगे।

3. उपरोक्त पदों हेतु स्वास्थ्य विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक **03-04-2016** को शाम 5.00 बजे तक ऑन–लाईन आवेदन भरे जा सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के समीक्षा उपरांत पात्र आवेदकों की सूची विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर जारी किया जावेगा।

4. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् व्दारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि के साथ छत्तीसगढ़ मेडिकल कांऊसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य हैं।

5. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

6. सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण संबंधी एवं अन्य निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी नियम एवं निर्देश लागू होंगे।

8. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/3/एक नया रायपुर, दिनांक 17.12.2015 के द्वारा राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भर्ती के पदों पर की जाने वाली भर्ती में एक बार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2016 की समाप्ति तक प्रदान की जाए। अन्य विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त छूट यथावत लागू रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़